

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार
दीवानी अपील संख्या 3391/2011

भारतीय जीवन बीमा निगम

..अपीलकर्तागण

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य ...

..प्रतिवादीगण

साथमें

दीवानी अपील सं. 3849 / 2011

दीवानी अपील सं.3393 / 2011

दीवानी अपील सं.3394 / 2011

दीवानी अपील सं.3395 / 2011

हेडनोट्स

विधायी अधिकार -- राजस्थान स्टांप कानून (अनुप्रेषण) अधिनियम 1952 -- इस मामले में विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या राजस्थान राज्य के पास राज्य के भीतर जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर स्टांप शुल्क लगाने और एकत्र करने की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार है --निर्णय : राजस्थान राज्य विधान मंडल को संविधान की समवर्ती सूची के प्रवेश 44 के अंतर्गत बीमा पॉलिसियों पर स्टांप शुल्क अधिरोपित करने का अधिकार है; बशर्ते कि शुल्क की दरें संसद द्वारा निर्धारित हो, राज्य शुल्क की दर तय नहीं कर सकते लेकिन संसद द्वारा तय दरों पर शुल्क लगा सकते हैं --संबंधित बीमा पॉलिसी वर्ष 1993 से 2002 के बीच जारी की गई थी अतः इन पर राजस्थान स्टांप कानून (अनुप्रेषण) अधिनियम , 1952 लागू होता है ना कि राजस्थान स्टांप अधिनियम , 1998 जो बाद में 275 / 2004 से लागू हुआ ।

निर्णय

पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्ति

1. विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या राजस्थान राज्य के पास राज्य के भीतर जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार है। नीचे दिए गए कारणों के आधार पर, हमने अपीलकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम की यह दलील अस्वीकार कर दी है कि राज्य के पास इस विषय पर विधायी अधिकार नहीं है, और साथ ही हमने राजस्थान स्टाम्प कानून (अनुप्रयोग) अधिनियम, 1952¹ तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की शक्ति को भी पुष्टि दी है। यद्यपि हमने अपील को खारिज कर दिया है, फिर भी उच्च न्यायालय के कुछ निष्कर्षों को निरस्त किया है तथा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को आंशिक राहत प्रदान की है। अब हम, प्रावधानों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व, आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करेंगे।
2. तथ्य: अपीलकर्ता ने वर्ष 1993-94 से 2001-02 के बीच राजस्थान राज्य के भीतर विभिन्न बीमा पॉलिसियाँ जारी की थीं। प्रचलित स्टाम्प शुल्क कानून के अनुसार, अपीलकर्ता को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत — जिसे 1952 अधिनियम द्वारा राजस्थान राज्य में लागू किया गया था — बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क चुकाकर स्टाम्प्स चिपकाने की आवश्यकता थी।
 - 2.1 दिनांक 19.08.1991 को अपीलकर्ता ने जयपुर के कलेक्टर को यह लिखकर सूचित किया कि 'एजेंट्स लाइसेंस शुल्क स्टाम्प्स' उपलब्ध नहीं हैं। दिनांक 07.10.1991 को कोषाधिकारी, जयपुर ने अपीलकर्ता को उत्तर दिया कि 'इंडिया इंश्योरेंस स्टाम्प्स' केंद्र सरकार की संपत्ति हैं और उनकी आपूर्ति तथा वितरण उनके विभाग से संबंधित नहीं है।
 - 2.2 दिनांक 15.04.2004 और 06.05.2004 को पंजीयन एवं स्टाम्प के महानिरीक्षक, राजस्थान, अजमेर ने अपीलकर्ता को एक पत्र जारी कर ₹1.19 करोड़ की राशि जमा करने को कहा, क्योंकि अपीलकर्ता ने 1993-94 से 2001-02 के बीच जिन बीमा पॉलिसियों को राजस्थान राज्य के भीतर जारी किया, उनके लिए महाराष्ट्र राज्य से बीमा स्टाम्प खरीदे थे, जिससे राजस्थान राज्य को राजस्व की हानि हुई। इसके अनुपालन में, अतिरिक्त कलेक्टर (स्टाम्प), जयपुर ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998² की धारा 37(5) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया।
 - 2.3 दिनांक 16.09.2004 के आदेश द्वारा, अतिरिक्त कलेक्टर (स्टाम्प), जयपुर ने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और अपीलकर्ता को उक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया। यह माना गया कि अपीलकर्ता और विभाग के बीच हुई पत्राचार 'एजेंट्स शुल्क स्टाम्प्स' से संबंधित था, न कि उन 'इंडिया इंश्योरेंस स्टाम्प्स' से जो बीमा पॉलिसियों पर चिपकाई जाती हैं और उस समय उपलब्ध थीं। इसी प्रकार के आदेश 16.10.2004 को ₹1.07 करोड़, 11.10.2004 को ₹1.18 करोड़, 01.11.2004 को ₹1.87 करोड़, तथा 28.10.2004 को ₹43.68 लाख की राशि के लिए पारित

¹आगामी संदर्भ हेतु '1952 अधिनियम'

²आगे चलकर '1998 अधिनियम' के रूप में संदर्भित।

किए गए। अपीलकर्ता ने इन आदेशों को पृथक रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी, जिन्हें वर्तमान में विचाराधीन निर्णय में निपटा दिया गया है।³

2.4 अपीलकर्ता ने दिनांक 16.09.2004 के अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश⁴ द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता के पास राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका दायर करने का एक वैकल्पिक प्रभावशाली उपाय उपलब्ध है।

2.5 अपीलकर्ता ने खंडपीठ के समक्ष रिट अपील दायर की, जिसे प्रारंभ में दिनांक 11.12.2004 के आदेश द्वारा इस आधार पर निस्तारित कर दिया गया कि उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे अपनी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें जो इस मामले का विचार करके युक्तिसंगत आदेश पारित करे। यह भी कहा गया कि यदि किसी भी पक्ष को समिति के निर्णय से असंतोष हो, तो वे रिट अपील की पुनः स्थापना हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस आदेश के अनुपालन में गठित समिति ने अपीलकर्ता का प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप रिट अपील को पुनर्स्थापित किया गया और वर्तमान में अपील किये गए निर्णय⁵ द्वारा उसका निस्तारण किया गया।

3. उच्च न्यायालय का तर्क: यह आवश्यक है कि रिट अपील को खारिज करने और स्टाम्प शुल्क के आरोप की पुष्टि करने में उच्च न्यायालय के तर्कों पर संक्षेप में चर्चा की जाए। उच्च न्यायालय ने 1952 अधिनियम की धाराओं 2, 3(प)(v), तथा 3A को राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 के नियम 2(ड) और 3 के साथ पढ़ते हुए अपना निर्णय दिया। धारा 2 यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को 01.04.1958 से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू माना जाएगा। धारा 3(प)(v) यह स्पष्ट करती है कि जब तक संदर्भ अन्यथा न हो, भारतीय अधिनियम में "सरकार" का उल्लेख राज्य सरकार के रूप में पढ़ा जाएगा। धारा 3A(1) यह व्यवस्था करती है कि जब स्टाम्प बिक्री के लिए उपलब्ध न हों, तब नकद भुगतान द्वारा स्टाम्प शुल्क अदा किया जा सकता है।

3.1 राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 कानियम 2(ड) 'सरकार' को राज्य सरकार के रूप में परिभाषित करता है, और नियम 3 यह प्रावधान करता है कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान राज्य सरकार को किस प्रकार किया जाए।

3.2 इन प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 3A(1), पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता को नकद में स्टाम्प शुल्क अदा करना चाहिए था, और इस भुगतान की रसीद को उस दस्तावेज पर चिपकाना चाहिए था, जैसा कि उक्त प्रावधान में अपेक्षित है। यह भी कहा गया कि अधिनियम की योजना के अंतर्गत ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जो यह अनुमति देता हो कि

³ डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3418/2006, डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3419/2006, डब्ल्यू.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3420/2006, तथा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8187/2004 में दिनांक 21.02.2011 को पारित निर्णय ('विवादित निर्णय')।

⁴ एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7013 / 2004 में, निर्णय दिनांक 08.10.2004।

⁵ डबल बेंच सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 670 / 2004 में, निर्णय दिनांक 21.02.2011 ('विवादित निर्णय')।

अपीलकर्ता राज्य से बाहर से ऐसे स्टाम्प खरीद सके जब वे राज्य में उपलब्ध न हों।⁶ इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी माना कि किसी भी स्थिति में केवल एजेंट्स लाइसेंस शुल्क स्टाम्प ही अनुपलब्ध थे, जबकि स्टाम्प शुल्क इंडिया इंश्योरेंस स्टाम्प पर लगाया गया था।⁷

3.3 नियम 2(ड) — जिसमें 'सरकार' का अर्थ राजस्थान सरकार बताया गया है — तथा नियम 3 — जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार को ही अदा किया जाए — के आधार पर उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्टाम्प केवल राजस्थान सरकार से ही खरीदे जाने चाहिए।⁸ एकमात्र अपवाद धारा 3A में प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार जब स्टाम्प उपलब्ध न हों, तब व्यक्ति नकद राशि को सरकारी कोषागार में जमा कर सकता है और चालान की रसीद को दस्तावेज के साथ चिपका सकता है।⁹ 1952 अधिनियम और 1955 नियमावली अपीलकर्ता को राज्य के बाहर से ऐसे स्टाम्प खरीदने की अनुमति नहीं देते, जिन पर 'राजस्थान' शब्द या 'RAJ' अक्षर अंकित न हों, जैसा कि नियम 3 की व्याख्या में उल्लेखित है।¹⁰ इन तथ्यों और विधिक प्रावधानों को इस प्रकार पढ़ते हुए, उच्च न्यायालय ने 16.09.2004 के कलेक्टर के आदेश को यथावत बनाए रखा।

4. उच्च न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर भी विचार किया कि क्या राज्य सरकार को बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने की विधायी क्षमता प्राप्त है, जो सातवीं अनुसूची में स्टाम्प शुल्क से संबंधित विधायी क्षेत्रों के वितरण पर आधारित है। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सूची-1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 91 संसद को विभिन्न दस्तावेजों, जिनमें बीमा पॉलिसियां भी शामिल हैं, पर स्टाम्प शुल्क की दर से संबंधित विधि बनाने का अधिकार प्रदान करती है। वहीं, सूची-111 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 44 संसद तथा राज्य विधानमंडलों दोनों को "स्टाम्प शुल्क, जो न्यायिक स्टाम्प के माध्यम से एकत्र शुल्क या फीस को छोड़कर हैं, परंतु स्टाम्प शुल्क की दर को सम्मिलित नहीं करती", के संबंध में विधियाँ बनाने का अधिकार देती है।

4.1. उच्च न्यायालय ने यह माना कि 1952 का अधिनियम सूची-111 की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है। यह अधिनियम सूची-1 की प्रविष्टि 91 के अधीन आने वाले क्षेत्र पर अधिकार नहीं करता क्योंकि यह बीमा स्टाम्प के लिए शुल्क की दर तय नहीं करता, बल्कि केवल स्टाम्प शुल्क की वसूली की व्यवस्था करता है। अतः, उच्च न्यायालय ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि राज्य सरकार को बीमा स्टाम्प के लिए भुगतान की मांग करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं।

4.2. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा वी.वी.एस. रामा शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य¹¹ में इस न्यायालय के निर्णय पर दिए गए भरोसे को भी अस्वीकार कर दिया और यह भिन्न बताया कि उस मामले में कोई ऐसा राज्य कानून नहीं था जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो, बल्कि विचार उत्तर

⁶ विवादित निर्णय, पृष्ठ 15।

⁷ वहीं।

⁸ वहीं, पृष्ठ 17।

⁹ वहीं।

¹⁰ वहीं।

¹¹ (2009) 7 एससीसी 234।

प्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 115A के अंतर्गत किया गया था।¹² चूंकि 1952 का अधिनियमराष्ट्रपति की स्वीकृति से पारित है, अतः इसे एक विशेष विधिमाना गया, जिसे वरीयता प्राप्त है — जबकि वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपर्युक्त) में भारतीय स्टाम्प अधिनियम के साथ-साथ उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए नियम लागू थे।¹³ न्यायालय ने यह भी तथ्यात्मक रूप से इस प्रकरण को भिन्न बताया क्योंकि वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपर्युक्त) भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत आपराधिक अपराधों से संबंधित था।¹⁴

5. *अपीलकर्ता की प्रस्तुतियाँ*: अपीलकर्ता की ओर से विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल (ASG) श्री एन. वेंकटरमण उपस्थित हुए और दो प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए। उनके तर्क का सार इस प्रकार है: प्रथम, कि सूची-1 की प्रविष्टि 91, सूची-11 की प्रविष्टि 63, और सूची-111 की प्रविष्टि 44 के आधार पर राजस्थान राज्य को बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह विषयसंग्रह सूची के अंतर्गत आता है। द्वितीय, कि कारण बताओ नोटिस और संपूर्ण कार्यवाही 1998 के अधिनियम के अधीन है, जो बीमा पॉलिसियों पर राज्य द्वारा स्टाम्प शुल्क लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं करता। कल्पिक रूप से, यदि 1952 का अधिनियम लागू भी हो, तो अपीलकर्ता के पास महाराष्ट्र से स्टाम्प खरीदने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था क्योंकि स्टाम्प की अनुपलब्धता स्वीकार की गई है, और यह धारा 3A(4) के अंतर्गत उचित है।

5.1 विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बीमा से संबंधित सूची-1 की प्रविष्टि 47 तथा स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने की शक्ति से संबंधित प्रविष्टि 91 पर भरोसा किया, जो संसद को बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ लैंडिंग, क्रेडिट लेटर, बीमा पॉलिसी, शेयर ट्रांसफर, डिबेंचर, प्रॉक्ससी और रसीद जैसे दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने का अधिकार देती है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि बीमा संग्रह सूची के अंतर्गत आता है और विशेष रूप से केवल संसद ही बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित कर सकती है, अतः राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि बीमा पॉलिसियों पर देय स्टाम्प शुल्क अनिवार्यतः उसे ही भुगतान किया जाए अथवा स्टाम्प केवल उसी राज्य से खरीदे जाएं। उन्होंने वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपर्युक्त) के उस अंश पर भरोसा किया जिसमें कहा गया कि बीमा स्टाम्प, जो केंद्र सरकार की संपत्ति होते हैं, को किसी राज्य से ही अनिवार्यतः खरीदे जाने की शर्त राज्य नहीं लगा सकता जब बीमा पॉलिसी उस राज्य में जारी की गई हो। राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क आरोपित किए जाने को चुनौती देते हुए, माननीय ASG ने यह भी प्रस्तुत किया कि स्टाम्प शुल्क कर (Tax) की प्रकृति रखता है, और जब तक किसी कर की दर निर्धारित नहीं की जाती, तब तक वैध कर आरोपित नहीं माना जा सकता। उन्होंने *गोविंद सरन गंगा सरन बनाम बिक्री कर आयुक्त*¹⁵ तथा *मथुराम अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य*¹⁶ पर भरोसा करते हुए कहा कि स्टाम्प शुल्क की दर स्पष्ट व निर्विवाद रूप से जानी जा सकने योग्य होनी चाहिए, अन्यथा कोई वैध कर कानून अस्तित्व में नहीं माना जाएगा। चूंकि वर्तमान मामले में राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने की विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है, अतः वह ऐसा शुल्क वैध

¹² विवादित निर्णय, पृष्ठ 19।

¹³ वहीं, पृष्ठ 20।

¹⁴ वहीं।

¹⁵ 1985 सप्लीमेंट एससीसी 205, अनुच्छेद 6।

¹⁶ (1999) 8 एससीसी 667, अनुच्छेद 12।

रूप से आरोपित व वसूल नहीं कर सकती। अंततः, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि सूची-III की प्रविष्टि 44 करान की प्रविष्टि नहीं है, और इस पर उन्होंने *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज़¹⁷ तथा कर्नाटक राज्य बनाम मेघालय राज्य¹⁸* में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि करान संबंधी विधिक सिद्धांतों के अनुसार, करान से संबंधित प्रविष्टियां संघ सूची व राज्य सूची में स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। समवर्ती सूची में करान का कोई शीर्षक नहीं है। इसलिए, राज्य सरकार प्रविष्टि 44, सूची-III के अंतर्गत विधायी शक्ति का दावा करते हुए अपीलकर्ता पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगा सकती।

5.2 राज्य द्वारा स्टाम्प शुल्क लगाए जाने को संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत बताते हुए तर्क प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामले में विशेष राज्य अधिनियमों के तहत स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि 1998 का अधिनियम इस मामले में लागू होता है क्योंकि वसूली हेतु नोटिस 1998 अधिनियम की धारा 37(5) के तहत जारी किया गया है। 1998 अधिनियम की धारा 3 एक चार्जिंग प्रावधान (Charging Provision) है, जो यह निर्धारित करता है कि अनुसूची में उल्लिखित राशि के अनुसार दस्तावेजों पर शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-I के प्रविष्टि 47 (जो विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियों के लिए स्टाम्प शुल्क की दरें प्रदान करती है) की तुलना 1998 अधिनियम की अनुसूची से की और तर्क दिया कि 1998 अधिनियम की अनुसूची में ऐसा कोई समांतर प्रविष्टि नहीं है जो बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क की दर प्रदान करती हो। चूंकि धारा 3 केवल अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रावधान करती है, और अनुसूची में ऐसी कोई दर निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए राज्य सरकार बीमा पॉलिसियों पर अपीलकर्ता से स्टाम्प शुल्क की मांग नहीं कर सकती। वैकल्पिक रूप से, learned ASG ने यह भी तर्क दिया कि यदि 1952 का अधिनियम लागू होता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में माना है, तो भी राजस्थान सरकार को वर्तमान मामले में स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कोषागार (Treasury) में "भारत बीमा मुद्राएँ" की अनुपलब्धता स्वीकार की गई थी। उन्होंने 07.10.1991 को विभाग द्वारा जारी पत्र पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह गलत माना कि केवल "एजेंट लाइसेंस शुल्क मुद्राएँ (Agents License Fee Stamps)" अनुपलब्ध थे, जबकि पत्र में स्पष्ट रूप से "भारतीय बीमा मुद्राएँ (India Insurance Stamps)" की अनुपलब्धता का उल्लेख था। इसके अतिरिक्त, पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि ये स्टाम्प "केंद्र सरकार की संपत्ति" हैं और उनकी आपूर्ति एवं बिक्री राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। इस पत्र पर भरोसा करते हुए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने प्रस्तुत किया कि जब 1991 में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि "भारतीय बीमा मुद्राएँ (India Insurance Stamps)" उपलब्ध नहीं हैं और राज्य सरकार की इन पर कोई भूमिका नहीं है, तो 2004 में राज्य सरकार स्टाम्प शुल्क के भुगतान की मांग नहीं कर सकती थी। अंत में, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 3A पर भरोसा करना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि धारा 3A(4) स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि यह प्रावधान सूची-I की प्रविष्टि 91 में उल्लिखित दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर लागू नहीं होता। चूंकि बीमा

¹⁷(2004) 10 एससीसी 201।

¹⁸(2023) 4 एससीसी 416, अनुच्छेद 92।

पॉलिसियां सूची-1 की प्रविष्टि 91 के अंतर्गत आती हैं, इसलिए धारा 3A इस पर लागू नहीं होती और अपीलकर्ता नकद में स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की क्योंकि उसने इस उप-धारा पर विचार ही नहीं किया। 1998 अधिनियम की धारा 4(4) में भी इसी प्रकार का एक प्रावधान है। अतः, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के पास राजस्थान सरकार को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का कोई तरीका नहीं था और उन्हें राज्य के बाहर से स्टाम्प खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि शुल्क का भुगतान न करने से कर चोरी (Evasion) होती और बिना स्टाम्प की बीमा पॉलिसी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होती।

6. *प्रतिवादी की प्रस्तुतियाँ*: राज्य सरकार की ओर से उपस्थित learned वरिष्ठ अधिवक्ताओं, मनीष सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्य को प्रविष्टि 44, सूची-III के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और वसूलने की शक्ति प्राप्त है। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि इस शुल्क की दर निर्धारित करने की शक्ति केवल संसद के क्षेत्राधिकार में आती है, परंतु इस शुल्क को लगाने, वसूलने और चार्जिंग प्रावधान बनाने की शक्ति प्रविष्टि 44, समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानमंडलों दोनों को प्राप्त है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राज्यों की विधायी क्षमता प्रविष्टि 91, सूची-1 में उल्लिखित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एकत्र करने तक सीमित है, परंतु वे इन दस्तावेजों के लिए शुल्क की दर निर्धारित नहीं कर सकते। स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने की शक्ति को प्रविष्टि 91, सूची-1 और प्रविष्टि 63, सूची-II के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया है। राज्य सरकार केवल संसद द्वारा निर्धारित दर पर शुल्क लगा सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रविष्टि 44, सूची-III एक कराधान (Taxation) प्रविष्टि है, जैसा कि "उत्तर प्रदेश राज्य विधि परिषद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य"¹⁹ के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

6.1 डॉ. मनीष सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि 1952 का अधिनियम लागू होता है क्योंकि शुल्क लगाया गया समय 1993-94 से 2001-02 के बीच का है, जो कि 1998 अधिनियम के लागू होने (27.05.2004) से पूर्व का है। 1952 का अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है, इसलिए यह अनुच्छेद 254(2) के अनुसार राज्य में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 पर प्राथमिकता प्राप्त करता है। 1952 अधिनियम की धारा 3(vi) में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची को स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए अपनाया गया है। अतः, 1952 का अधिनियम लागू होने के बाद, राज्य सरकार को उसके क्षेत्राधिकार में हुई बीमा लेन-देन के लिए स्टाम्प शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि यदि 1998 का अधिनियम लागू होता है, तो उसकी धारा 90 और 91 भारतीय स्टाम्प अधिनियम को प्रविष्टि 91, सूची-1 में उल्लिखित दस्तावेजों के संदर्भ में लागू करती हैं। अतः, उन्होंने वर्तमान मामले को V.V.S. रामा शर्मा (उपर्युक्त) से भिन्न बताया क्योंकि वह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के अधिकारियों के खिलाफ स्टाम्प शुल्क के भुगतान में विफलता के कारण दर्ज एक आपराधिक मामला था, जिसमें अपराध करने की मंशा का अभाव था, जिसके कारण FIR को निरस्त किया गया था।

7. *विचारणीय मुद्दे*: अपीलकर्ता के लिए विद्वान ASG और प्रतिवादी के लिए डॉ. मनीष सिंघवी की दलीलें सुनने के पश्चात, निम्नलिखित मुद्दे विचारणीय हैं:

¹⁹(1973) 1 एस.सी.सी. 261।

- I. क्या 1952 का अधिनियम 1998 का अधिनियमवर्तमान मामले में लागू होता है?
- II. क्या राज्य सरकार को प्रविष्टि 91, सूची-I और प्रविष्टि 44, सूची-III के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और वसूलने की विधायी शक्ति प्राप्त है?
- III. क्या 1952 का अधिनियम बीमा स्टाम्प केवल राजस्थान सरकार से ही खरीदने और स्टाम्प शुल्क का भुगतान राज्य सरकार को करने का अनिवार्य करता है?
- IV. क्या वर्तमान मामले में अपीलकर्ता स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए बाध्य है?

I. प्रवर्तनीय विधि

8. सबसे पहले यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में स्टाम्प शुल्क 1952 अधिनियम के अंतर्गत लगाया जा सकता है या 1998 अधिनियम के अंतर्गत। उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुँचते समय 1952 अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा किया है। हम इस पहलू पर उच्च न्यायालय से सहमत हैं क्योंकि स्टाम्प शुल्क उसी कानून के अनुसार लगाया जाना चाहिए जो उस दस्तावेज के निष्पादन की तिथि पर लागू था।²⁰ वर्तमान मामले में बीमा पॉलिसियाँ 1993-94 से 2001-02 के बीच जारी की गई थीं। 1998 अधिनियम की धारा 3²¹, जो आरोपण प्रावधान है, राज्य में उस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि के बाद निष्पादित प्रत्येक दस्तावेज पर अनुसूची में उल्लिखित अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाती है। 1998 अधिनियम केवल 27.05.2004 को एक अधिसूचना द्वारा लागू हुआ। अतः जब संबंधित दस्तावेज निष्पादित किए गए थे, उस समय 1952 अधिनियम ही प्रभावी था और स्टाम्प शुल्क उसी के अंतर्गत लागू होता है।

II. विधायी अधिकारिता

9. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किया है कि राज्य को बीमा पॉलिसियों पर राज्य विधान के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्रित करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि केवल संघ को ऐसे दस्तावेजों के लिए स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है।

²⁰विजय बनाम भारत संघ, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1585, 2023 आईएनएससी 1030, पैरा 11।

²¹1998 अधिनियम की धारा 3 का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

“3. शुल्क के अधीन लिखपत्र—इस अधिनियम के उपबंधों तथा अनुसूची में निहित छूटों के अधीन, निम्नलिखित लिखपत्र उस अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क की राशि के अधीन होंगे, जो उनके लिए यथोचित शुल्क है, अर्थात्—

(क) वह प्रत्येक लिखपत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित है, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित न किया गया हो, और इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि के पश्चात राज्य में निष्पादित किया गया हो;

(ख) वह प्रत्येक लिखपत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित है, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित न किया गया हो, और उक्त तिथि के पश्चात राज्य के बाहर निष्पादित किया गया हो, राज्य में किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य या विषय से संबंधित हो और राज्य में प्राप्त हुआ हो, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित हो।”

उन्होंने स्टाम्प शुल्क से संबंधित सातवीं अनुसूची के विधायी क्षेत्रों की संवैधानिक योजना का उल्लेख किया है। संबंधित प्रविष्टियाँ हैं: सूची I की प्रविष्टि 91, सूची II की प्रविष्टि 63, और सूची III की प्रविष्टि 44, जिन्हें संदर्भ हेतु यहाँ उद्धृत किया गया है:

सूची I की प्रविष्टि 91:

“91. विनिमय विधेय, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, लदान पत्र, ऋण पत्र, बीमा पॉलिसियाँ, शेयरों का अंतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीदों के संदर्भ में स्टाम्प शुल्क की दरें।”

सूची II की प्रविष्टि 63:

“63. ऐसे दस्तावेजों के संदर्भ में स्टाम्प शुल्क की दरें जो सूची I के प्रावधानों में निर्दिष्ट नहीं हैं।”

सूची III की प्रविष्टि 44:

“44. न्यायिक स्टाम्पों द्वारा वसूल की जाने वाली शुल्कों को छोड़कर अन्य सभी स्टाम्प शुल्क, किंतु इसमें स्टाम्प शुल्क की दरें शामिल नहीं हैं।”

10. अनुच्छेद 246 के अनुसार, संसद को सूची I के किसी भी विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है, संसद और किसी राज्य की विधानसभाओं को सूची III के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य विधानसभाओं को अपने राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए सूची II के किसी भी विषय पर विशेष रूप से कानून बनाने का अधिकार है।²²
11. जब अनुच्छेद 246 के संदर्भ में सातवीं अनुसूची की उपयुक्त प्रविष्टियों को पढ़ा जाता है, तो स्टाम्प शुल्क से संबंधित विधायी अधिकारिता का वितरण इस प्रकार स्पष्ट होता है: संसद को कुछ विशेष दस्तावेजों, जैसे: विनिमय विधेय, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, लदान पत्र, ऋण पत्र, बीमा पॉलिसियाँ, शेयरों का अंतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीदों पर स्टाम्प शुल्क की दर तय करने का विशेषाधिकार है (सूची I की प्रविष्टि 91)। वहीं, सूची II की प्रविष्टि 63 के अनुसार, राज्यों को उन दस्तावेजों पर

²²अनुच्छेद 246 इस प्रकार है:

“246. संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय—(1) उपबंध (2) और (3) में कही गई बातों के बावजूद, संसद को केवल सातवीं अनुसूची की सूची I (जिसे इस संविधान में ‘संघ सूची’ कहा गया है) में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है।

(2) उपबंध (3) में कही गई बातों के बावजूद, संसद और, उपबंध (1) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की विधानमंडल को भी सातवीं अनुसूची की सूची III (जिसे इस संविधान में ‘समवर्ती सूची’ कहा गया है) में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

(3) उपबंध (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की विधानमंडल को उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए सातवीं अनुसूची की सूची II (जिसे इस संविधान में ‘राज्य सूची’ कहा गया है) में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है।

(4) संसद को भारत के ऐसे किसी भाग के लिए, जो किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यद्यपि वह विषय राज्य सूची में उल्लिखित हो।”

स्टाम्प शुल्क की दर तय करने का अधिकार है जो सूची I की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट नहीं हैं। अर्थात्, स्टाम्प शुल्क की दर तय करने की विधायी शक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच दस्तावेजों के प्रकार के आधार पर विभाजित है। हालाँकि, सूची III की प्रविष्टि 44 के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभाओं को सामान्य स्टाम्प शुल्क (न्यायिक शुल्कों को छोड़कर) पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति है, लेकिन स्टाम्प शुल्क की दरें इसमें शामिल नहीं हैं।

12. संविधानिक योजना के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि शुल्क की दर निर्धारित करने की शक्ति परस्पर रूप से विशिष्ट है और संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित है।²³ बीमा पॉलिसियाँ, जो इस मामले में प्रासंगिक दस्तावेज हैं, दर निर्धारण हेतु सूची I की प्रविष्टि 91 के अंतर्गत आती हैं। इसका अर्थ है कि केवल संसद को बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने का विशेषाधिकार और विधायी अधिकारिता प्राप्त है। इस बिंदु पर कोई विवाद नहीं है।
13. लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार संसद द्वारा निर्धारित दर का उपयोग करते हुए बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने के लिए कानून बना सकती है, जिसकी विधायी शक्ति सूची III की प्रविष्टि 44 से प्राप्त की जाए?
14. इस प्रश्न का उत्तर इस न्यायालय ने *वी.वी.एस. रामा शर्मा* मामले में सकारात्मक रूप से दिया है और यह माना है कि सूची III की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत “सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाने की शक्ति समवर्ती है। लेकिन इस प्रकार के शुल्क की दर निर्धारित करने की शक्ति प्रविष्टि 44 से बाहर है और यह संसद तथा राज्य विधानसभाओं के बीच विभाजित है।”²⁴ अतः सूची I की प्रविष्टि 91 में वर्णित दस्तावेजों पर भी स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रावधान संसद और राज्य दोनों द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते कि अनुच्छेद 254 की शर्तें पूरी की जाएँ।²⁵ इस सिद्धांत को रामा शर्मा के मामले में इस प्रकार सारांशित किया गया है: “जैसा कि पहले बताया गया है, सूची III की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाने की शक्ति समवर्ती है। लेकिन उस शुल्क की दर तय करने की शक्ति सूची III की प्रविष्टि 44 से बाहर है और यह संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विभाजित है। यदि दस्तावेज सूची I की प्रविष्टि 91 में आते हैं, तो दर निर्धारित करने की शक्ति संसद को होगी, और अन्य सभी दस्तावेजों के लिए यह शक्ति राज्य विधानसभाओं को होगी। इसलिए प्रविष्टि 44 का तात्पर्य यह है कि दर को छोड़कर, स्टाम्प शुल्क से संबंधित आरोपण प्रावधान संसद और राज्य दोनों द्वारा बनाए जा सकते हैं, समवर्ती क्षेत्र में, अनुच्छेद 254 के अधीन। अतः वर्तमान मामले में सूची I की प्रविष्टि 91 ही लागू होगी और राज्य किसी केंद्रीय कानून को दरकिनार करने की शक्ति नहीं रखते।”
15. हाल ही के निर्णय में, *विजय बनाम भारत संघ*²⁶ में भी इस न्यायालय ने यह दोहराया है कि सूची III की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाने की शक्ति समवर्ती है। केवल उस शुल्क की दर निर्धारित करने की शक्ति संसद को है, और सूची I की प्रविष्टि 91 के अधीन, राज्य विधानसभाओं को भी कुछ सीमित संदर्भों में यह शक्ति प्राप्त है।²⁷

²³वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपर्युक्त), अनुच्छेद 14–15।

²⁴वहीं, अनुच्छेद 14।

²⁵वहीं, अनुच्छेद 15।

²⁶2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1585, 2023 आईएनएससी 1030।

²⁷वहीं, अनुच्छेद 12।

16. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान राज्य को बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और संग्रह करने की शक्ति सूची III की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत प्राप्त है, किन्तु यह शुल्क संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए, जैसा कि सूची I की प्रविष्टि 91 में उल्लेख है।
17. उपरोक्त व्याख्या के अनुसार, जो विधायी अधिकारिता से संबंधित प्रश्न अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उठाया गया था, उसका समाधान हो गया है। फिर भी, उन्होंने एक वैध कर कानून की आवश्यकताओं और इस बात पर कि क्या सूची III की प्रविष्टि 44 एक कराधान प्रविष्टि है, कुछ अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि हमें ये तर्क अनावश्यक प्रतीत होते हैं, तथापि चूंकि इन्हें प्रस्तुत किया गया है, हम इनसे भी निपटेंगे।
18. इस न्यायालय के निर्णयों गोविंद सरन गंगा सरन (उपर्युक्त) और मथुराम अग्रवाल (उपर्युक्त) पर भरोसा करते हुए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने तर्क दिया है कि कर की दर, करारोपण की वैधता के लिए एक आवश्यक घटक है। चूंकि राज्य विधानमंडल बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि राज्य विधान द्वारा इन दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क का वैध करारोपण नहीं किया जा सकता। यह तर्क, उपर्युक्त निष्कर्ष के प्रकाश में अस्वीकार किया जाना चाहिए कि भले ही राज्य विधानमंडल स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित नहीं कर सकता, वह संसद द्वारा निर्धारित दर पर ऐसा शुल्क अधिरोपित कर सकता है। विद्वान ASG द्वारा जिन दोनों निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे ऐसे मामलों से संबंधित हैं जहाँ करारोपण की धारा एक वैध कर विधि के आवश्यक तत्वों — अर्थात्, कर का विषय, कर का दायित्व किस पर है, और किस दर पर कर देना है — को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पा रही थी²⁸। वर्तमान मामले में, जबकि यह बात सही है कि राज्य बीमा पॉलिसियों पर शुल्क की दर निर्धारित नहीं कर सकता, इसका यह अर्थ नहीं है कि शुल्क की दर को लेकर कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता है। बल्कि, यह दर स्पष्ट, सुस्पष्ट और संसद द्वारा परिभाषित है, जिसे राज्य द्वारा अपनाकर स्टाम्प शुल्क लगाया और वसूल किया जा रहा है। अतः यह प्रस्तुति अस्वीकार की जाती है।
19. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दूसरी प्रस्तुति कि समवर्ती सूची (Concurrent List) में कोई कराधान प्रविष्टि नहीं है, केसराम इंडस्ट्रीज (उपर्युक्त) और कर्नाटक राज्य बनाम मेघालय राज्य (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णयों पर आधारित है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इन निर्णयों के प्रासंगिक भागों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि, यह ध्यान देना आवश्यक है कि ये निर्णय कराधान प्रविष्टियों से संबंधित हैं, न कि स्टाम्प शुल्क से संबंधित प्रविष्टियों से। हालांकि स्टाम्प शुल्क निश्चित रूप से कर का ही एक रूप है,²⁹ फिर भी इन निर्णयों में इस न्यायालय ने इस पर विशेष रूप से विचार नहीं किया। इस न्यायालय की तीन-सदस्यीय पीठ ने Bar Council of Uttar Pradesh v. State of UP (उपर्युक्त) में निर्णय दिया कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान कराधान के क्षेत्र में आता है और इस प्रकार का शुल्क लगाना मुख्यतः सूची-III की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आता है।³⁰ यह निर्णय विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, उनसे पूर्व आया था, लेकिन उन मामलों में इस न्यायालय ने इसे विचार में नहीं

²⁸मथुराम अग्रवाल (उपर्युक्त), अनुच्छेद 6।

²⁹आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एस.सी.सी. 720, अनुच्छेद 19।

³⁰बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश (उपर्युक्त), अनुच्छेद 14।

लिया क्योंकि वे स्टाम्प शुल्क से संबंधित नहीं थे। अतः यह स्पष्ट है कि सूची-III की प्रविष्टि 44 एक कराधान प्रविष्टि है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, और यह प्रस्तुति भी अस्वीकार की जाती है। हम यह निर्णय देते हैं कि राज्य विधानमंडल को बीमा पॉलिसियों पर सूची-III की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत, और सूची-I की प्रविष्टि 91 के तहत संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार, स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की विधायी शक्ति प्राप्त है।

III. अधिनियम के तहत स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की देयता:

20. 1952 अधिनियम के तहत स्टाम्प शुल्क के प्रावधान और अधिरोपण:

1952 अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार है:

“2. भारतीय अधिनियम का अनुप्रयोग—इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय विधानमंडल का भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्या 2), जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, जिसे आगे ‘भारतीय अधिनियम’ कहा जाएगा, वह 1 अप्रैल, 1958 से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगा।”

(जोर दिया गया)

21. 1952 अधिनियम की धारा 2, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को स्वीकार करती है और इसे राजस्थान राज्य में लागू करती है, कुछ समायोजनों के अधीन जो धारा 3 में निहित हैं। हमारे उद्देश्य के लिए धारा 3 के उपखंड (v) और (vi) प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:

“3. समायोजन—धारा 2 के प्रयोजनों के लिए,—

(v) भारतीय अधिनियम में “किसी सरकार” का संदर्भ, जब तक कि प्रसंग अन्यथा न हो, राज्य सरकार के संदर्भ में माना जाएगा, अर्थात्, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 37, 1956) की धारा 10 के द्वारा गठित राजस्थान राज्य की सरकार: परंतु, भारतीय अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (i) में जहाँ कहीं भी “सरकार” शब्द आया है, उसका अर्थ राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों से होगा।

(vi) भारतीय अधिनियम में अनुसूची I का उल्लेख, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुप्रयोग) अधिनियम, 1952 (राजस्थान अधिनियम VII, 1952) की द्वितीय अनुसूची के संदर्भ में समझा जाएगा।”

22. इसके अतिरिक्त, राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 के नियम 2(घ) और 3 इस प्रकार हैं:

“2(घ). “सरकार” का अर्थ राजस्थान राज्य की सरकार है।”

“3. शुल्क के भुगतान की विधि— जब तक कि अधिनियम या इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो —

(1) वह समस्त शुल्क जिससे कोई दस्तावेज शुल्कनीय हो, भुगतान किया जाएगा और उस भुगतान को उस दस्तावेज पर इस प्रकार दर्शाया जाएगा कि वह ऐसे टिकटों के माध्यम से हो जो इस अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्गत किए गए हों; और

(2) कोई भी टिकट, जिसके ऊपर उसके मुख पर कोई शब्द अथवा शब्द समूह किसी विशिष्ट प्रकार के दस्तावेज के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो, वह किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा।

व्याख्या: उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार या किसी संधिबद्ध राज्य की सरकार द्वारा निर्गत कोई टिकट, यदि उस पर “राजस्थान” शब्द या “RAJ” अक्षर आरोपित किए गए हों, तो उसे राजस्थान सरकार द्वारा निर्गत माना जाएगा।

नियम 3 को नियम 2(घ) के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत टिकटों के माध्यम से ही उस दस्तावेज पर लागू स्टाम्प शुल्क का भुगतान माना जाएगा। अतः, किसी दस्तावेज को 1952 अधिनियम के अंतर्गत “उचित रूप से मुद्रांकित”³¹ माने जाने के लिए, टिकट राज्य सरकार द्वारा निर्गत होना चाहिए और शुल्क राज्य सरकार को भुगतान किया जाना चाहिए।

23. 1952 अधिनियम द्वारा किए गए समायोजनों के पश्चात, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 और अनुसूची 1 का राजस्थान राज्य में अनुप्रयोज्य प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“3. दस्तावेज जिन पर शुल्क देय है—इस अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची 1 में निहित अपवादों के अधीन, निम्नलिखित दस्तावेजों पर उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट राशि का शुल्क देय होगा, जो उस दस्तावेज के लिए उचित शुल्क है, अर्थात् —

(क) प्रत्येक ऐसा दस्तावेज जो उस अनुसूची में उल्लिखित है और जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले निष्पादित नहीं किया गया हो, तथा जो अधिनियम के राजस्थान राज्य में प्रवर्तन की तिथि के पश्चात भारत में निष्पादित किया गया हो;”

(ख) प्रत्येक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो दृष्टि पर देय नहीं है, अथवा ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो उस दिन या उसके बाद भारत के बाहर बनाया या तैयार किया गया हो और जो भारत में स्वीकार या भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया हो, अथवा स्वीकृत, भुगतान किया गया हो, या समर्थनित, अंतरण किया गया हो, या अन्यथा परक्राम्य किया गया हो; और

(ग) प्रत्येक ऐसा दस्तावेज (बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को छोड़कर) जो उस अनुसूची में उल्लिखित है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा पहले निष्पादित नहीं किया गया हो, तथा जो उस दिन या उसके बाद भारत के बाहर निष्पादित किया गया हो, और जो भारत में स्थित किसी संपत्ति, या भारत में किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य या वस्तु से संबंधित हो, और भारत में प्राप्त हुआ हो।

³¹ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 2(11) (जैसा कि राजस्थान राज्य में अनुकूलित किया गया है) इस प्रकार है:

“2. परिभाषाएँ — इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग या विषय में कोई विरोधाभास न हो —
(11) “उचित रूप से मुद्रांकित” — किसी लिखपत्र पर लागू “उचित रूप से मुद्रांकित” का अर्थ है कि उस लिखपत्र पर समुचित राशि का गोंद लगा हुआ या छपा हुआ मुद्रांक लगा हो और वह मुद्रांक भारत में उस समय प्रवृत्त विधि के अनुसार विपकाया या प्रयोग किया गया हो।”

केन्द्रीय अधिनियम की अनुसूची I, जैसा कि राजस्थान राज्य के लिए अनुकूलित किया गया है, इस प्रकार पढ़ी जाती है:

“अनुसूची-I।

दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क

(धारा 3 देखें)

[इस अनुसूची में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत केवल वे अनुच्छेद दोहराए गए हैं जिनके लिए राजस्थान संशोधन अधिनियम, 1952 (संख्या 7) में विशेष उपबंध नहीं किया गया है।]

47. बीमा की पॉलिसी –

D – जीवन बीमा या समूह बीमा या अन्य बीमा जो विशेष रूप से उपबंधित नहीं है, केवल ऐसे पुनः बीमा को छोड़कर जैसा कि इस अनुच्छेद के प्रभाग 'E' में वर्णित है –

(i) जब बीमित राशि ₹250 तक हो –

(ii) ₹250 से अधिक किंतु ₹500 तक –

(iii) ₹500 से अधिक किंतु ₹1000 तक, और ₹1000/- से अधिक प्रत्येक ₹1000 अथवा उसके अंश के लिए –

यदि एक प्रति में तैयार किया गया हो: दस पैसे	यदि द्वैत्य प्रति में तैयार किया गया हो: पाँच पैसे
दस पैसे	पाँच पैसे
बीस पैसे	दस पैसे

नोट

— यदि किसी समूह बीमा की पॉलिसी का नवीनीकरण किया जाता है या अन्यथा उसमें ऐसा परिवर्तन किया जाता है जिससे बीमित राशि, पूर्व में बीमित राशि (जिस पर स्टाम्प शुल्क पहले ही चुका दिया गया हो) से अधिक हो जाती है, तो उस अतिरिक्त राशि पर उचित स्टाम्प शुल्क देना आवश्यक होगा।

रियायत

—

भारतीय डाक जीवन बीमा नियमों के

अधीन केंद्र सरकार के प्राधिकरण से

जारी निदेशक डाक कार्यालय द्वारा

प्रदत्त जीवन बीमा की पॉलिसियाँ।

24. यहाँ दी गई धाराओं, नियमों और अनुसूचियों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि 1952 अधिनियम की धारा 2 यह प्रावधान करती है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 राजस्थान राज्य में कुछ अनुकूलनों के साथ लागू होगा। हमारे संदर्भ में प्रासंगिक अनुकूलन यह हैं कि 'सरकार' का अर्थ राज्य सरकार होगा (1952 अधिनियम की धारा 3(5) के अनुसार) और केंद्रीय अधिनियम की अनुसूची I का उल्लेख 1952 अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के संदर्भ में समझा जाएगा (धारा 3(6) के अनुसार)। 1952 अधिनियम की द्वितीय अनुसूची कुछ दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क की दरों को निर्दिष्ट करती है। हालाँकि, चूंकि बीमा पॉलिसियों को सूची I की प्रविष्टि 91 में शामिल किया गया है, केवल संसद को ही उन पर लगाए जाने वाले स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करने की विधायी शक्ति प्राप्त है। इसलिए, 1952 अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में बीमा पॉलिसियों पर शुल्क की दरों का कोई उल्लेख नहीं है, और यह उचित भी है। बल्कि, जब हम भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I की प्रविष्टि 47(D) को राजस्थान राज्य के अनुसार अनुकूलित रूप में पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि केंद्रीय कानून के तहत निर्धारित दर को राज्य में भी अपनाया गया है।
25. राज्य को स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की शक्ति उसकी विधायी क्षमता से संबंधित है, जो स्पष्ट कानूनी प्रावधानों द्वारा समर्थित है। राजस्थान राज्य की विधायी क्षमता को मान्यता देने के बाद, राज्य को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के अंतर्गत, जैसा कि राज्य के अनुसार अनुकूलित किया गया है, स्टाम्प शुल्क वसूलने का अधिकार है। यह धारा यह प्रावधान करती है कि यदि कोई दस्तावेज राजस्थान राज्य में निष्पादित होता है तो उस पर अनुसूची में निर्दिष्ट राशि का शुल्क देय होगा।
26. धारा 3 के इस प्रावधान की पुष्टि राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 के नियम 3 से भी होती है, जो "भुगतान की विधि" के बारे में बताता है। नियम 3 को नियम 2(घ) के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि किसी भी दस्तावेज पर देय शुल्क राज्य सरकार द्वारा जारी स्टाम्प के माध्यम से अदा किया जाएगा। धारा 3 और नियम 3 से निकलने वाला प्रासंगिक तथ्य यह है कि बीमा पॉलिसी का राज्य के भीतर निष्पादन ही स्टाम्प शुल्क लगाने और आरोपित करने का आधार है। अतः राजस्थान राज्य से स्टाम्प खरीदने की बाध्यता स्पष्ट और निर्विवाद है। इसलिए, यदि राज्य के भीतर कोई दस्तावेज निष्पादित होता है और स्टाम्प राज्य से बाहर से खरीदे जाते हैं, तो यह स्टाम्प शुल्क की चोरी के समान होगा और ऐसा दस्तावेज 'उचित रूप से मुद्रांकित' नहीं माना जाएगा।
27. **वी.वी.एस.रामा शर्मा (उपरोक्त) से भिन्नता:** विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने वी.वी.एस.रामा शर्मा (उपरोक्त) के निम्नलिखित अंशों पर भरोसा किया है यह दर्शाने के लिए कि राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि बीमा स्टाम्प केवल उसी राज्य से खरीदे जाएँ जहाँ पॉलिसी जारी की गई है:

"29. वर्तमान मामले में, प्राथमिकी में यह उल्लेख किया गया है कि एलआईसी, वाराणसी के मंडलीय कार्यालय ने बीमा स्टाम्प उत्तर प्रदेश के कोषागार कार्यालय से नहीं खरीदे, बल्कि वे राज्य के बाहर के स्टाम्प विक्रेताओं से खरीदे गए, जिससे राज्य सरकार को ₹1,67,21,520.00 की राजस्व हानि हुई। अतः, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने बीमा स्टाम्प उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से खरीदे। हालाँकि, जैसाकि हमने पहले ही उल्लेख किया है, अपीलकर्ताओं का यह कार्य न तो स्टाम्प अधिनियम के किसी प्रावधान के विरुद्ध है और न ही किसी अन्य नियम के। अतः, प्राथमिकी में लगाया गया

आरोप, यदि अभियोजन द्वारा सिद्ध भी कर दिया जाए, तो भी वह किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

32. यह पूर्णतः अप्रासंगिक है कि अपीलकर्ता बीमा स्टांप उत्तर प्रदेश राज्य से खरीद रहे हैं या किसी अन्य राज्य से। वास्तव में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली के नियम 115-A में स्वयं यह घोषित किया गया है कि "स्टांप केंद्र सरकार की संपत्ति हैं।" जब विधिक स्थिति यही है, तो यह कहना कि बीमा स्टांप केवल उत्तर प्रदेश राज्य से ही खरीदे जाने चाहिए, कानूनी रूप से अस्थिर है।"

(जोर दिया गया)

28. इन अंशों को उस मामले के तथ्यों और वहाँ लागू कानून के संदर्भ में देखना आवश्यक है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी स्टांप नियम, 1942³² के नियम 115-A की व्याख्या की थी, जो राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899³³ के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति (धारा 74 और 75) के तहत बनाए गए थे। यह कहा गया कि ये नियम केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं और इनका दायरा केवल धारा 74 और 75 तक सीमित है — ये केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों³⁴ को दरकिनार नहीं कर सकते।³⁵ इसलिए कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य यह नहीं कह सकता कि बीमा पॉलिसियों पर स्टांप केवल राज्य के भीतर से ही खरीदे जाएँ।

³²उत्तर प्रदेश मुद्रांक नियम, 1942 का नियम 115A, वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपर्युक्त), अनुच्छेद 20 में उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है:

"20. आगे, मुद्रांक नियमों का नियम 115-A ऐसे मुद्रांकों की बिक्री की विधि प्रदान करता है। यह इस प्रकार है:

'115-A. वे मुद्रांक जो भारत सरकार की संपत्ति हैं और जिन्हें डाकघरों के माध्यम से जनता को बेचा जाना है, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व मुद्रांक, रक्षा (या राष्ट्रीय) बचत मुद्रांक, डाकघरों द्वारा स्थानीय और शाखा डिपो से प्राप्त किए जाएंगे और साधारण डाक मुद्रांकों की तरह जनता को बेचे जाएंगे।

तंबाकू उत्पाद शुल्क लेबल और बीमा एजेंट लाइसेंस शुल्क मुद्रांक स्थानीय और शाखा डिपो से जनता को बेचे जाएंगे जहां उन्हें संग्रहित किया गया है।'

³³भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धाराएं 74 और 75 इस प्रकार हैं:

"74. मुद्रांकों की बिक्री से संबंधित नियम बनाने की शक्ति — राज्य सरकार नियम बना सकती है ताकि— (क) मुद्रांकों और मुद्रांकित पत्रों की आपूर्ति और बिक्री का विनियमन किया जा सके, (ख) यह निर्धारित किया जा सके कि केवल कौन से व्यक्ति ऐसी बिक्री कर सकेंगे, और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक निर्धारित किए जा सकें: परंतु यह अपेक्षित है कि ऐसे नियम दस नए पैसे या पाँच नए पैसे के गोंद मुद्रांकों की बिक्री पर रोक नहीं लगाएंगे।

75. अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य रूप से नियम बनाने की शक्ति — राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को सामान्य रूप से कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकती है, और ऐसे नियमों द्वारा वह दंड निर्दिष्ट कर सकती है, जो किसी भी स्थिति में पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होंगे, जो उल्लंघन की स्थिति में लगाए जा सकेंगे।"

³⁴वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपर्युक्त), अनुच्छेद 18-23।

³⁵वहीं।

29. वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में विचाराधीन विधि भिन्न है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क की अधिरोपण "1952 अधिनियम" के तहत किया गया है, जो एक राज्य कानून है और इसे समवर्ती सूची की प्रविष्टि 44 के तहत अधिनियमित किया गया है तथा इसे अनुच्छेद 254³⁶ के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है। अनुच्छेद 254(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि जब समवर्ती सूची के किसी विषय पर बना राज्य कानून संसद द्वारा बनाए गए पूर्ववर्ती कानून या उस विषय पर पहले से प्रचलित किसी कानून से विरोधाभासी हो, तो यदि वह राज्य कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो, तो वह कानून उस राज्य में प्रभावी रहेगा। वर्तमान मामले में जो 1952 का अधिनियम लागू है, उसे निर्विवाद रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है, अतः राजस्थान राज्य की सीमा में यह अधिनियम **भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899** पर प्रभावी रूप से प्रबल है। 1952 अधिनियम, जो वर्तमान मामले में लागू है, ने निर्विवाद रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की है और इसलिए यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 पर राजस्थान राज्य में प्रभावी रूप से प्रधानता रखता है।³⁷

30. अतः, वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपरोक्त) में ऐसा कोई राज्य कानून विचाराधीन नहीं था जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो और जो केंद्रीय अधिनियम पर राज्य में प्रभावी हो। इसके अतिरिक्त, चूंकि स्टाम्प शुल्क एक कर है³⁸, इसलिए अनुच्छेद 265³⁹ के अनुसार इसका अधिरोपण और संग्रह 'विधिक प्राधिकरण के अधीन'⁴⁰ ही होना चाहिए। वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपरोक्त) मामले में कोई भी

³⁶ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 इस प्रकार है:

"254. संसद और राज्यों की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति— (1) यदि किसी राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून के किसी उपबंध के प्रतिकूल है जिसे संसद बनाने के लिए सक्षम है, या समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय से संबंधित किसी प्रचलित कानून के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, तो, अनुच्छेद (2) के उपबंधों के अधीन, संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से पूर्व या पश्चात पारित हुआ हो, या, यथास्थिति, वह प्रचलित कानून प्रभावी होगा और राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया वह कानून, जहाँ तक वह प्रतिकूल है, अमान्य होगा।

(2) यदि समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय से संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संसद द्वारा पहले बनाए गए या उस विषय से संबंधित किसी प्रचलित कानून के प्रतिकूल कोई उपबंध रखता है, तो वह राज्य का कानून, यदि उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो, उस राज्य में प्रभावी होगा:

परंतु इस उपबंध में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे संसद को कभी भी उसी विषय से संबंधित कोई कानून, जिसमें राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए ऐसे कानून में जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तित करने या निरसन करने की व्यवस्था की गई हो, बनाने से रोका जा सके।"

³⁷ यूपी इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड बनाम आर. के. शुक्ला, (1969) 2 SCC 400, पैरा 9; एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ, (1979) 3 SCC 431, पैरा 7-8।

³⁸ आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. लक्ष्मी देवी (उपर्युक्त), पैरा 19।

³⁹ अनुच्छेद 265 इस प्रकार है:

"265. कर केवल विधि के प्राधिकरण द्वारा ही आरोपित किए जा सकते हैं।— कोई कर तब तक आरोपित या वसूल नहीं किया जाएगा जब तक कि वह विधि के प्राधिकार द्वारा न हो।"

⁴⁰ बालाजी बनाम ITO, AIR 1962 SC 123; नगर परिषद, कोटा, राजस्थान बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड, दिल्ली, (2001) 3 SCC 654।

ऐसा चार्जिंग प्रावधान नहीं था जो बीमा पॉलिसियों पर स्टांप शुल्क राज्य सरकार को अदा करने की आवश्यकता दर्शाता हो। वह मामला केवल केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की व्याख्या से संबंधित था। इसलिए वह निर्णय तथ्यात्मक और कानूनी दृष्टि से वर्तमान मामले से भिन्न है।

31. इस मुद्दे पर निष्कर्ष: हमने 1952 अधिनियम और राजस्थान स्टांप नियम, 1955 के प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण किया है, जो राज्य के भीतर अपीलकर्ता द्वारा जारी बीमा पॉलिसियों पर स्टांप शुल्क लगाते हैं। भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 3, जैसा कि राजस्थान राज्य के अनुसार अनुकूलित किया गया है, एक चार्जिंग प्रावधान है, जिसके अनुसार अपीलकर्ता को राज्य सरकार को राज्य में निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर स्टांप शुल्क देना होगा। 1952 अधिनियम के तहत बीमा पॉलिसियों पर देय स्टांप शुल्क की दर को केंद्रीय अधिनियम की अनुसूची I से अपनाया गया है, जो सूची I की प्रविष्टि 91 के अनुरूप है। अतः चार्जिंग प्रावधान को राज्य सरकार द्वारा सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत वैध रूप से अधिनियमित किया गया है। अतः वर्तमान मामले में राज्य सरकार बीमा पॉलिसियों के निर्गमन पर स्टांप शुल्क लगा सकती है और अपीलकर्ता से उसका भुगतान करने की अपेक्षा कर सकती है। इन परिस्थितियों में राज्य कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्टांप शुल्क की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करना वैध, न्यायोचित और कानूनी है।

IV. वर्तमान मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता की देयता:

32. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कोषाध्यक्ष, जयपुर द्वारा दिनांक 07.10.1991 को लिखे गए पत्र पर भरोसा किया है, जिसका अंश निम्न प्रकार है:

"उपरोक्त संदर्भ में यह निवेदन करना है कि भारत सरकार बीमा स्टांप केंद्र सरकार की संपत्ति है, जिसकी आपूर्ति और वितरण इस विभाग से संबंधित नहीं है।"

33. इस पत्र की सामग्री से स्पष्ट है कि विभाग ने भारत बीमा स्टांप की अनुपलब्धता को स्वीकार किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि इनकी आपूर्ति और वितरण केंद्र सरकार से संबंधित है। अपीलकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के कारण उन्हें महाराष्ट्र से स्टांप खरीदने के लिए विवश होना पड़ा, अन्यथा वे राजस्थान राज्य में बीमा पॉलिसियां जारी नहीं कर सकते थे। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अपीलकर्ता और विभाग के बीच पत्राचार एजेंट लाइसेंस शुल्क स्टांप से संबंधित था।⁴¹ हालांकि, यह स्पष्ट रूप से दिनांक 07.10.1991 के पत्र को ध्यान में लिए बिना ऐसा निष्कर्ष निकाला गया। अतः इस संबंध में उच्च न्यायालय ने त्रुटि की है।
34. इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि यदि स्टांप अनुपलब्ध थे, तो अपीलकर्ता को 1952 अधिनियम की धारा 3A(1) के अनुसार नकद में स्टांप शुल्क का भुगतान करना चाहिए था।⁴² धारा 3A के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

⁴¹अपीलित निर्णय, पृष्ठ संख्या १५।

⁴²अपीलित निर्णय, पृष्ठ संख्या १५।

3A. नकद में स्टॉप शुल्क का भुगतान —(1)जब राज्य सरकार या राज्य सरकार के निर्देशों के तहत कलेक्टर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह घोषित करता है कि किसी भी मूल्यवर्ग के गोंद लगे हुए या मुद्रांकित स्टॉप पर्याप्त मात्रा में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं; तब, इसअधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, और जब तक उक्त आदेश प्रभावी रहता है, तब तक —

- (i) इस अधिनियम के अंतर्गत स्टॉप शुल्क से दायित्वयुक्त कोई भी लेख अस्टॉपित कागज पर निष्पादित किया जा सकता है;
- (ii) इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लेख पर देय स्टॉप शुल्क किसी भी सरकारी कोषागार में नकद में अदा किया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है, और नकद प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा उसकी रसीद या चालान विधिवत रूप से दिया जाएगा;
- (iii) सरकारी कोषागार का प्रभारी अधिकारी, जैसे ही संभव हो, उस लेख पर जिसके लिए स्टॉप शुल्क नकद में अदा किया गया है, निम्नलिखित प्रमाणन करेगा, यह सत्यापित करने के बाद कि उक्त लेख के लिए स्टॉप शुल्क नकद में अदा किया गया है और ऐसी रसीद या चालान को रद्द करने के बाद ताकि उसे पुनः उपयोग में न लाया जा सके, अर्थात्:
‘रु. ... का स्टॉप शुल्क नकद में अदा किया गया, रसीद/चालान क्रमांक ... दिनांक ... के अनुसार’
- (iv) उप-धारा (iii) के अंतर्गत प्रमाणित लेख को इस अधिनियम के अंतर्गत विधिवत मुद्रांकित माना जाएगा और सभी दृष्टियों से वैध रूप से प्रयोग किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण —उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ "सरकारी कोषागार" में सरकारी उप-कोषागार तथा वह कोई अन्य स्थान भी सम्मिलित होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करे।

(4)इस धारा की कोई भी बात संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 91 में वर्णित लिखतों पर देय स्टॉप शुल्क के भुगतान पर लागू नहीं होगी।”

- 35. हालांकि, उच्च न्यायालय ने उपधारा (4) को उद्धृत करने के बावजूद इस पर विचार नहीं किया, जो सूची 1 की प्रविष्टि 91 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को इस धारा से बाहर करता है। इसलिए, यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता नकद में भुगतान कर सकता था, एक त्रुटि है।
- 36. उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, अपीलकर्ता के पास राज्य के बाहर से बीमा स्टॉप खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने राज्य से स्टॉप खरीदने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन विभाग के पत्र और 1952 अधिनियम में बीमा स्टॉप की अनुपलब्धता की स्थिति में शुल्क भुगतान की कोई व्यवस्था न होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके।
- 37. अतः, विषय का विस्तृत विचार करते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- I. प्रासंगिक राज्य कानून, यानी 1952 अधिनियम अथवा 1998 अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे का उत्तर यह है कि इस मामले में राजस्थान स्टांप कानून (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 लागू होता है।
 - II. हम यह मानते हैं कि राज्य विधानमंडल के पास बीमा पॉलिसियों पर स्टांप शुल्क लगाने और संग्रह करने की विधायी क्षमता है, जैसा कि सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत है, और शुल्क दर संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 91 के अंतर्गत निर्धारित की गई है।
 - III. हम यह मानते हैं कि राजस्थान राज्य में बीमा पॉलिसियों के निष्पादन के लिए अपीलकर्ता को भारत बीमा स्टांप खरीदने और राजस्थान सरकार को स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
 - IV. हालांकि हमने बीमा पॉलिसियों पर स्टांप शुल्क लगाने और संग्रह करने की राज्य की शक्ति को सही ठहराया है, तथापि इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हम यह निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार निम्नलिखित आदेशों के अनुसार स्टांप शुल्क की मांग और वसूली न करे:
दिनांक 16.09.2004, 16.10.2004, 11.10.2004, 01.11.2004 और 28.10.2004।
38. निष्कर्षतः, हम अपीलों को खारिज करते हैं और उच्च न्यायालय का दिनांक 21.02.2011 का निर्णय, D.B. सिविल स्पेशल अपील (रिट) नं. 670/2004, D.B. सिविल रिट याचिका नं. 3418/2006, 3419/2006, 3420/2006 और 8187/2004 में, पुष्टि करते हैं। साथ ही, हम मुद्दा IV के तहत उल्लिखित सीमा तक उच्च न्यायालय के कुछ निष्कर्षों को निरस्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उपरोक्त आदेशों के अनुसार स्टांप शुल्क की मांग न करे।

39. पक्षकार अपने-अपने व्यय वहन करेंगे।

... .. न्यायमूर्ति:
[पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा]

... .. न्यायमूर्ति:
[अरविंद कुमार]

नई दिल्ली;
30 अप्रैल, 2024.

Checked By Sunil Kumar, Translator:-

& Kailash Puniya, Translator :-

अंग्रेजी दस्तावेज़ में मौजूद फुटनोट्स:

1. "आगामी संदर्भ हेतु '1952 अधिनियम'"
2. आगे चलकर '1998 अधिनियम' के रूप में संदर्भित।
3. डब्ल्यू.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3418/2006, डब्ल्यू.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3419/2006, डब्ल्यू.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3420/2006, तथा डब्ल्यू.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8187/2004 में दिनांक 21.02.2011 को पारित निर्णय ('विवादित निर्णय')।
4. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7013 / 2004 में, निर्णय दिनांक 08.10.2004।
5. डबल बेंच सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 670 / 2004 में, निर्णय दिनांक 21.02.2011 ('विवादित निर्णय')।
6. विवादित निर्णय, पृष्ठ 15।
7. वहीं।
8. वहीं, पृष्ठ 17।
9. वहीं।
10. वहीं।
11. (2009) 7 एससीसी 234।
12. विवादित निर्णय, पृष्ठ 19।
13. वहीं, पृष्ठ 20।
14. 14. वहीं।
15. 1985 सप्लीमेंट एससीसी 205, अनुच्छेद 6।
16. (1999) 8 एससीसी 667, अनुच्छेद 12।
17. (2004) 10 एससीसी 201।
18. (2023) 4 एससीसी 416, अनुच्छेद 92।
19. (1973) 1 एस.सी.सी. 261।
20. विजय बनाम भारत संघ, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1585, 2023 आईएनएससी 1030, पैरा 11।
21. 1998 अधिनियम की धारा 3 का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"3. शुल्क के अधीन लिखपत्र—इस अधिनियम के उपबंधों तथा अनुसूची में निहित छूटों के अधीन, निम्नलिखित लिखपत्र उस अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क की राशि के अधीन होंगे, जो उनके लिए यथोचित शुल्क है, अर्थात्—

(क) वह प्रत्येक लिखपत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित है, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित न किया गया हो, और इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि के पश्चात राज्य में निष्पादित किया गया हो;

(ख) वह प्रत्येक लिखपत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित है, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित न किया गया हो, और उक्त तिथि के पश्चात राज्य के बाहर निष्पादित किया गया हो, राज्य में किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य या विषय से संबंधित हो और राज्य में प्राप्त हुआ हो, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित हो।"
22. अनुच्छेद 246 इस प्रकार है:

“246. संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु—
(1) उपबंध (2) और (3) में कही गई बातों के बावजूद, संसद को केवल सातवीं अनुसूची की सूची I (जिसे इस संविधान में 'संघ सूची' कहा गया है) में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है।

(2) उपबंध (3) में कही गई बातों के बावजूद, संसद और, उपबंध (1) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की विधानमंडल को भी सातवीं अनुसूची की सूची III (जिसे इस संविधान में 'समवर्ती सूची' कहा गया है) में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

(3) उपबंध (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की विधानमंडल को उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए सातवीं अनुसूची की सूची II (जिसे इस संविधान में 'राज्य सूची' कहा गया है) में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है।

(4) संसद को भारत के ऐसे किसी भाग के लिए, जो किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यद्यपि वह विषय राज्य सूची में उल्लिखित हो।”

23. वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपर्युक्त), अनुच्छेद 14–15।

24. वहीं, अनुच्छेद 14।

25. वहीं, अनुच्छेद 15।

26. 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1585, 2023 आईएनएससी 1030।

27. वहीं, अनुच्छेद 12।

28. मथुराम अग्रवाल (उपर्युक्त), अनुच्छेद 6।

29. आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एस.सी.सी. 720, अनुच्छेद 19।

30. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश (उपर्युक्त), अनुच्छेद 14।

31. भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 2(11) (जैसा कि राजस्थान राज्य में अनुकूलित किया गया है) इस प्रकार है:

“2. परिभाषाएँ — इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग या विषय में कोई विरोधाभास न हो —
(11) “उचित रूप से मुद्रांकित” — किसी लिखपत्र पर लागू “उचित रूप से मुद्रांकित” का अर्थ है कि उस लिखपत्र पर समुचित राशि का गोंद लगा हुआ या छपा हुआ मुद्रांक लगा हो और वह मुद्रांक भारत में उस समय प्रवृत्त विधि के अनुसार चिपकाया या प्रयोग किया गया हो।”

32. उत्तर प्रदेश मुद्रांक नियम, 1942 का नियम 115A, वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपर्युक्त), अनुच्छेद 20 में उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है:

“20. आगे, मुद्रांक नियमों का नियम 115-A ऐसे मुद्रांकों की बिक्री की विधि प्रदान करता है। यह इस प्रकार है:

‘115-A. वे मुद्रांक जो भारत सरकार की संपत्ति हैं और जिन्हें डाकघरों के माध्यम से जनता को बेचा जाना है, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व मुद्रांक, रक्षा (या

राष्ट्रीय) बचत मुद्रांक, डाकघरों द्वारा स्थानीय और शाखा डिपो से प्राप्त किए जाएंगे और साधारण डाक मुद्रांकों की तरह जनता को बेचे जाएंगे।

तंबाकू उत्पाद शुल्क लेबल और बीमा एजेंट लाइसेंस शुल्क मुद्रांक स्थानीय और शाखा डिपो से जनता को बेचे जाएंगे जहां उन्हें संग्रहित किया गया है।’

33. भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धाराएं 74 और 75 इस प्रकार हैं:

“74. मुद्रांकों की बिक्री से संबंधित नियम बनाने की शक्ति — राज्य सरकार नियम बना सकती है ताकि—(क) मुद्रांकों और मुद्रांकित पत्रों की आपूर्ति और बिक्री का विनियमन किया जा सके, (ख) यह निर्धारित किया जा सके कि केवल कौन से व्यक्ति ऐसी बिक्री कर सकेंगे, और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक निर्धारित किए जा सकें: परंतु यह अपेक्षित है कि ऐसे नियम दस नए पैसे या पाँच नए पैसे के गोंद मुद्रांकों की बिक्री पर रोक नहीं लगाएंगे।

75. अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य रूप से नियम बनाने की शक्ति — राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को सामान्य रूप से कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकती है, और ऐसे नियमों द्वारा वह दंड निर्दिष्ट कर सकती है, जो किसी भी स्थिति में पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होंगे, जो उल्लंघन की स्थिति में लगाए जा सकेंगे।”

34. वी.वी.एस. रामा शर्मा (उपर्युक्त), अनुच्छेद 18–23।

35. वहीं।

36. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 इस प्रकार है:

“254. संसद और राज्यों की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति—(1) यदि किसी राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून के किसी उपबंध के प्रतिकूल है जिसे संसद बनाने के लिए सक्षम है, या समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय से संबंधित किसी प्रचलित कानून के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, तो, अनुच्छेद (2) के उपबंधों के अधीन, संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से पूर्व या पश्चात पारित हुआ हो, या, यथास्थिति, वह प्रचलित कानून प्रभावी होगा और राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया वह कानून, जहाँ तक वह प्रतिकूल है, अमान्य होगा।

(2) यदि समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय से संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संसद द्वारा पहले बनाए गए या उस विषय से संबंधित किसी प्रचलित कानून के प्रतिकूल कोई उपबंध रखता है, तो वह राज्य का कानून, यदि उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो, उस राज्य में प्रभावी होगा:

परंतु इस उपबंध में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे संसद को कभी भी उसी विषय से संबंधित कोई कानून, जिसमें राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए ऐसे कानून में जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तित करने या निरसन करने की व्यवस्था की गई हो, बनाने से रोका जा सके।”

37. यूपी इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड बनाम आर. के. शुक्ला, (1969) 2 SCC 400, पैरा 9; एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ, (1979) 3 SCC 431, पैरा 7-8।

38. आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. लक्ष्मी देवी (उपर्युक्त), पैरा 19।

39. अनुच्छेद 265 इस प्रकार है:

“265. कर केवल विधि के प्राधिकरण द्वारा ही आरोपित किए जा सकते हैं।— कोई कर तब तक आरोपित या वसूल नहीं किया जाएगा जब तक कि वह विधि के प्राधिकार द्वारा न हो।”

40. बालाजी बनाम ITO, AIR 1962 SC 123;
नगर परिषद, कोटा, राजस्थान बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड,
दिल्ली, (2001) 3 SCC 654।

41. अपीलित निर्णय, पृष्ठ संख्या १५।

42. अपीलित निर्णय, पृष्ठ संख्या १५।